छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी—मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 26 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 7, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :—

(i) 114/सी.एस.ई.आर.सी./ 2025, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के लिये टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2025 तथा

(ii) 115/सी.एस.ई.आर.सी./2025, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2025 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान वर्ष 2024—2025 के संदर्भ में अंतिम तिमाही तथा बजट अनुमान वर्ष 2025—26 के संदर्भ में प्रथम व द्वितीय तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(3) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम,1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :—

(i) 307/पीएलजीएमजे/845/2025 —सेक्शन (पीए) दिनांक 11 सितम्बर, 2025 तथा

(ii) 309/पीएलजीएमजे/845/2025 —सेक्शन (पीए) दिनांक 11 सितम्बर, 2025 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(4) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :–

(i) एफ 15–24/15–2/2023, दिनांक 4 दिसम्बर, 2024 तथा

(ii) लॉ/762/2025 कॉम. कोऑप. एंड आरसीएस/76627, दिनांक 20 जून, 2025 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री सुनील कुमार सोनी, सदस्य, मदिरा दुकानों एवं अहाता आवंटन हेतु स्थान चयन के मापदण्ड निर्धारण नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत् आदिवासी पारधी समुदाय के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने की ओर आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सिंगारपुर में माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम खलारी में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम भरदाकला में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iv) ग्राम तिलखैरी से सलौनी मार्ग निर्माण करने,

(v) मोखा जलाशय का जीर्णोद्धार करने,

(vi) ग्राम घीना, लासाटोला, डुण्डेरा, नवागांव से धनगांव तक नहर नाली निर्माण करने,

(vii) गुण्डरदेही में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में नवीन ट्रेड प्रारंभ करने,

(viii) नगर पंचायत अर्जुन्दा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने,

क्रमशः 3

(2) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सेमरताल में उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम नवगवां के प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन करने तथा

(iii) ग्राम पौंसरा के प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223–ख के उप नियम (1) तथा 223–ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2026–2027 की अवधि हेतु अपने में से नौ–नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

'''सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम– 234– ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2026–2027 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन–तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।''

8. वित्तीय वर्ष 2026–2027 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 25 फरवरी, 2026